




(श्री अशोक गहलोत)
माननीय मुख्यमंत्री,
राजस्थान



(श्री शान्ति कुमार धारीवाल)
माननीय मंत्री, राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं
स्वायत्त शासन विभाग

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021

मेरे भूखण्ड/भवन का पट्टा मेरे नाम

स्वयं के नाम पर

फ्री-होल्ड पट्टा

प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

- आपने न्यास से नीलामी/आवंटन/लॉटरी के माध्यम से भूखण्ड प्राप्त किया हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति/विकासकर्ता से भूखण्ड क्रय किया है व नगर विकास न्यास से नामान्तरण भी करा लिया है फिर भी भूखण्ड का पट्टा आपके नाम न होकर विक्रेता के नाम पर ही है।
- आप स्वयं के नाम का अथवा विक्रेता के भूखण्ड का पट्टा न्यास में जमा कर अपने नाम नया फ्री-होल्ड पट्टा प्राप्त कर सकते हैं।
- विक्रेता के भूखण्ड के पट्टे की अवधि 99 वर्ष है जबकि न्यास द्वारा आपको जो पट्टा जारी किया जायेगा, वह फ्री-होल्ड (शाश्वत) होगा, उसकी अवधि कभी समाप्त नहीं होगी। यह कार्य करके आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को राहत प्रदान करेंगे।
- निर्धारित अवधि में मकान का निर्माण नहीं करने पर न्यास द्वारा विलम्ब शुल्क की वसूली की जाती है। फ्री-होल्ड पट्टों पर यह विलम्ब शुल्क आधा लगेगा।
- भूखण्ड का फ्री-होल्ड पट्टा प्राप्त करने हेतु आपको मात्र दो वर्ष की लीज राशि अतिरिक्त देनी होगी। फ्री-होल्ड पट्टे का पंजीकरण मात्र 500 रुपये में होगा।
- फ्री-होल्ड पट्टे हेतु आवेदन पत्र न्यास कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है तथा न्यास की वेबसाइट <https://urban.rajasthan.gov.in/uitbhilwara> से डाउनलोड किया जा सकता है तथा आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरकर न्यास के नागरिक सेवा केन्द्र पर जमा कराया जावे।

राज्य सरकार का है यह सपना – सबका आवास हो अपना



नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

अन्य जानकारी न्यास के दूरभाष नंबर 01482-264140 से प्राप्त की जा सकती है।